खंड-दो

आईडीबीआई
सिडबी
आईएफसीआई
के वित्तीय मानक

[01/04/1999 से 31/03/2007 तक]

(30/04/2005 तक यथा संशोधित)

भाग - 1

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के वित्तीय मानक
प्रौ.उ.नि.यो. के अन्तर्गत ऋण

निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों पर प्रौ.उ.नि.यो . के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ।

ऋण की राशि

आवश्यकता के आधार पर सहायता दी जाएगी ।

प्रवतकों का योगदान

प्रवर्तकों का न्यूनतम योगदान परियोजना की लागत का न्यूनतम 20% अत्यधिक योग्य मामलों में 17.5% तक शिथिल किया जा सकता है ।

ब्याज दर :

ए). रूपयों में ऋण :

प्रौ.उ.नि.यो के अंतर्गत ऋण पर आईडीबीआई की सामान्य लागू दरों पर ब्याज देय होगा, जो कि ऋण स्वीकृति/ऋण के दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के समय चालू होगा ।

बी). विदेशी मुद्रा में ऋण :

जैसा साधारण विदेशी मुद्रा के ऋण के लिए लागू है ।

अग्रिम शुल्क (अपफ्रन्ट फी)

ऋण की राशि का एक प्रतिशत (1%) ।

ऋण की अवधि :

संबंधित कर्जदार इकाई की अनुमानित नकद प्रवाह के आधार पर ऋण की मूल राशि लौटाने की अवधि निर्धारित की जाएगी । सामान्यतः एक से दो वर्ष के प्रारंभिक विलम्बन अवधि समेत ऋण अधिकतम आठ से दस वर्षो की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है ।

प्रतिभूति :

आवधिक ऋण के लिए कर्जदार की सभी चल तथा अचल सम्पत्ति वर्तमान एवं भविष्य में प्रथम प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाएगी । अतिरिक्त प्रतिभूति, जैसे निजी/अन्य गारंटी तथा/अथवा

प्रवर्तकों के शेयरहोल्डिंग को गिरवी रखने संबंधी शर्तें ऋणदाता द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, यदि वे आवश्यक समझते हों ।

परिवर्तन विकल्प :

कुछ परिस्थितियों, जैसे भुगतान न करने की स्थिति, आदि के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है ।

ऋण-साम्या अनुपात :

1.5:1. योग्य मामलों में शिथिल किया जा सकता है ।

प्रबंधन

प्रौ.उ.नि.यो के अंतर्गत सहायता की मंजूरी के लिए मुख्य आवश्यकताओं में से एक संबंधित इकाई का सक्षम प्रबंधन होगी, जो परियोजना कार्यान्वित करने एवं इकाई के कार्य-कलाप सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आवश्यक है । इस हेतु आईडीबीआई बोर्ड के विस्तारीकरण, वरिष्ठ तकनीकी/वित्तीय व्यवस्थापकों की नियुक्ति, प्रबंधन का व्यावसायिकरण तथा आवश्यकतानुसार समितियों के गठन संबंधी शर्तें निर्धारित कर सकती है ।

कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताएँ

चुंकि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कार्यकारी पूँजी की उपलब्धता पर परियोजना की सफलता विशेष रूप से निर्भर करती है , आईडीबीआई यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इकाइयों ने उनके बैंकों से उचित ब्याज दर पर आवश्यक कार्यकारी पूँजी की समुचित व्यवस्था कर ली है ।

<u>प्रतिवेदन प्रपत्र टी - 1</u>

परियोजना में निवेश/प्रा.ऋ.सं. द्वारा स्वीकृत ऋण को प्रौ.उ.नि.यो के अंतर्गत पात्रता की जाँच करने के लिए सहयोजित प्रा.ऋ.सं. द्वारा आईडीबीआई (गैर लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र के लिए नोडल अभिकरण) को जमा किया गया प्रतिवेदन प्रपत्र ।

<table>
<tr><td>1. कंपनी/फर्म का नाम तथा पत्राचार के लिए पता (टेलिफोन सं., फैक्स सं. तथा ई-मेल आईडी के साथ)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2. संयंत्र का स्थान (यदि इकाई के पास एक से अधिक संयंत्र हो तो (सभी संयंत्रों का ब्यौरा दें) किस संयंत्र के लिए प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वित करनी है, यह स्पष्ट रूप से सूचित करें ।</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>3. कृपया क्षेत्र सूचित करें (जो लागू है उस पर निशान लगाए) आवेदन सीडबी को जमा करें ।</td><td>लघु उद्योग</td><td colspan="2">मध्यम श्रेणी की ओर बढ़ती हुई लघु उद्योग इकाई</td><td>गैर लघु उद्योग</td></tr>
<tr><td>4. वर्तमान गतिविधियों के साथ कंपनी/फर्म की संक्षिप्त में पृष्ठभूमि ।</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5. वर्तमान तथा प्रस्तावित प्रति वर्ष स्थापित क्षमता (इकाई वार) :
(तकुए,रोटर्सकी संख्या कताई की गतिविधि वाले केवल कताई तथा मिश्रित इकाई के मामले में दी जाए ।)</td><td>गतिविधि (उत्पाद)</td><td>वर्तमान स्थापित क्षमता</td><td>प्रस्तावित विस्तार/ प्रतिस्था-पना</td><td>स्थापित क्षमता विस्तार-ण/ प्रतिस्था-पना</td></tr>
<tr><td colspan="5">6. तकुओं को बढ़ाने के मामले में, कृपया उल्लेख करें :
6क. योजना के पहले यार्न उत्पादन (मीटर/प्रतिदिन) :
6ख. योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् यार्न उत्पादन (मीटर/प्रतिदिन):
6ग. योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् बढ़ा हुआ यार्न उत्पादन : (6ख-6क) (मीटर/प्रतिदिन):
6घ. स्थापित की जाने वाली मूल्य वृद्धि गतिविधि की क्षमता (मीटर/प्रतिदिन):
(प्रौ.उ.नि.यो पुस्तिका के खण्ड 4.2(ए)(ii)(ए) के निबंधनों के अनुसार गतिविधि/गतिविधियों का उल्लेख करें ।)
गतिविधियां :-
मीटर/प्रतिदिन में क्षमता
1.
2.

योग:
कृपया यह ध्यान में रखें कि प्रौ.उ.नि.यो पुस्तिका में दिए गए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार पात्र मूल्य वृद्धि गतिविधि के बिना तकुओं का कोई विस्तारण प्रौ.उ.नि.यो के अंतर्गत अपात्र है तथा ऐसे प्रस्ताव को आईडीबीआई को भेजने की आवश्यकता नहीं है ।</td></tr>
</table>

7. प्रतिस्थापना या विस्तारण के लिए रिंग फ्रेम की स्थापना के मामले में निम्न तालिका अनुसार जानकारी प्रस्तुत करें ।

योजना प्रारंभ होने से पहले की क्षमता		प्रतिस्थापना के लिए प्रस्तावित विद्यमान रिंग फ्रेम्स		प्रतिस्थापना के रूप में योजना के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित रिंग फ्रेम्स		योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् की क्षमता	
रिंग फ्रेम की संख्या	प्रति रिंग फ्रेम तकुओं की संख्या	रिंग फ्रेम की संख्या	प्रति रिंग फ्रेम तकुओं की संख्या	रिंग फ्रेम की संख्या	प्रति रिंग फ्रेम तकुओं की संख्या	रिंग फ्रेम की संख्या	प्रति रिंग फ्रेम तकुओं की संख्या

8. कताई सेक्शन में रिंग फ्रेम्स/अन्य बैक अप मशीन की प्रतिस्थापना के मामले में क्या प्रौ.उ.नि.यो पुस्तिका के खण्ड 4.2 (ए) (i) का अनुपालन किया गया ?

☐ हाँ ☐ नहीं (उचित खाने में निशान लगाएँ)

9.क परियोजना के लागत का मदवार ब्रेक-अप का विवरण (रू. लाख में) :-
(मूल्य निरूपण रिपार्ट/स्वीकृत टिप्पणी की तुलना में यदि कोई विभिन्नता हो, तो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें ।)

क्र. सं.	मद	योग (रू.लाख में)	जिसमें से प्रौ.उ.नि.यो से संबंधित मूल्य (रू. लाख में)
1.	भूमि तथा स्थान का विकास		पात्र नहीं
2.	फैक्टरी भवन		
3.	अन्य भवन		
4.	संयन्त्र तथा मशीनें		
5.	फुटकर अचल आस्तियाँ		
6.	तकनीकी जानकारी शुल्क		
7.	प्रारंभिक एवं पूर्व प्रचालन व्यय		
8.	कार्यकारी पूँजी के लिए मार्जिन मनी		
9.	डी जी सेट		
10.	आकास्मिकताएँ		
11.	अन्य (कृपया मद/मदों का उल्लेख करें)		
	योग :		

महत्वपूर्ण सूचना : यदि परियोजना का कार्यान्वयन 1 अप्रैल, 1999 से पहले हुआ हो, 1 अप्रैल, 1999 से पहले तथा 1अप्रैल, 1999 के बाद किए गए खर्च का मद-बार ब्योरा उपरोक्त सारणी के प्रत्येक मुख्य स्तंभ के अलग से बनाये गए उप स्तंभों में दिया जाए ।

9बी. कुल आवधिक ऋण रू. लाख में:

10ए. क्या ऋण अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा बांटा जा रहा है ? (उचित खाने में निशान लगाएँ ।)

☐ हाँ नहीं ☐

10बी. यदि हॉ, ऋण हिस्सेदारी आकडों को स्पष्ट रूप से दिखाएँ ।

सं.	बैंक/वि.सं. का नाम	राशि (रू. लाख में)
1. 2. 3. 4.		
	योग :	

10सी. मुख्य वि. स./बैंक कौन सी है ?

11. योजना का कार्यान्वयन शुरू करने की तिथि (दिन/महीना/वर्ष): -----/------/--------/

12 योजना के पूर्ण होने की अपेक्षित/वास्तविक तिथि (कौन सी तिथि इसका उल्लेख करें) (दिन/महीना/वर्ष): -----/----/-----/

13.कार्यान्वयन अवधि (13-12 से अधिक) -------वर्ष ----- महीने -----दिन

14.वि.स./बैंकों के ऋण आवेदन पत्र मिलने की तिथि (दिन/महीना/वर्ष): -----/------/--------/

15.प्रत्यायोजन प्राधिकारी द्वारा ऋण की स्वीकृति की तिथि (बोर्ड/क्रेडिट समिति आदि): ---/----/-------

16.कंपनी/फर्म को स्वीकृति संबंधी सूचित करने की तिथि : -----/------/--------/

17ए. कार्यान्वयन के प्रारंभ (मद सं. 14) से ऋण के लिए बैंक से संपर्क करने की तिथि तक कंपनी द्वारा परियोजना पर निम्न सारणी के अनुसार किया गया खर्च ।

दिनांक	मद	वास्तव में भुगतान की गई राशि (रू.लाख)	निधि का स्त्रोत (रू.लाख)
	योग		

17बी. क्या परियोजना के अंतर्गत मशीनों के आयात की कोई एल/सी आवधिक ऋण के वितरण से पहले समाप्त हो गई है ? (उचित खाने में निशान लगाएँ ।)

☐ हॉ ☐ नहीं

17सी. यदि हॉ, तो निम्न सारणी में जानकारी प्रस्तुत करें ।

सं.	आयात की गई मशीनों का नाम	राशि (रू.लाख)	एल/सी की समाप्ति की तिथि
1. 2. 3.			
	योग :		

18. 01 अप्रैल, 1999 से पूर्व वितरण एल/सी की समाप्ति का तिथि-वार विवरण, यदि कोई हो (रू.लाख) :

19. 01 अप्रैल, 1999 से पहले किए गए खर्च का तिथि-वार/मद-वार ब्यौरा (परियोजना लागत विवरण के अनुसार) (रू.लाख) :

20. पुनर्भुगतान अवधि : -------वर्ष ---------माह

21. पुनर्भुगतान सूची :

ए.) प्रारंभ की तिथि (दिन-माह-वर्ष) : -------/-------/------

बी.) अन्तिम तिथि (दिन-माह-वर्ष) : -------/-------/------

सी.) आवर्तन (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/मासिक) : -------/-------/------

डी.) किस्तों की कुल संख्या : -------/-------/------

22. विलम्बन अवधि [मद सं. 22 (ए) - मद सं. 13] ---------वर्ष -----माह -----दिन

23. क्या मानक आस्तियाँ ? (उपयुक्त खाने में टिक करें) हॉ ☐ नहीं ☐

24. क्या कुछ अतिदेय है ? (उपयुक्त खाने में टिक करें) हॉ ☐ नहीं ☐

25. कम्पनी की कुल सम्पत्ति : रूपये (रूपये लाख में) तारीख तक (तुलना पत्र की तारीख)

26. पिछले तीन वित्तीय वर्षो की लेखा परीक्षा की गई रिपोर्ट का परिणाम (रूपये लाख में) (यदि लेखा परीक्षा नहीं की गई है, स्पष्ट तौर पर बतायें)

वित्तीय वर्ष: 1 2 3

(उस वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें, जिसके परिणाम दिए गए हैं)

ए). ऑपरेटिंग लाभ/हानि

बी). कुल लाभ/हानि

सी). नगद लाभ/हानि

यदि कम्पनी को एक या अधिक वर्षों में नगद हानियाँ हुई हो तो पिछले पाँच वर्षों के परिणाम दें ।

27. ए). क्या प्रस्ताव सीपीपी/डीजी सेट के संस्थापन से संबंधित है ?

(उपयुक्त खाने में टिक का निशान लगाएँ ।)

☐ हॉ ☐ नहीं

27. बी). यदि हाँ तो कृपया निम्न जानकारियाँ दें :

क्या वह नया है ? क्षमता (के वी ए)

27. सी). क्या उक्त सीपीपी/डीजी सेट का संस्थापन वित्तीय संस्थान/बैंक के आकलन पर आधारित है जो कि वर्तमान तथा पूर्वानुमानित इकाई संबंधी ऊर्जा की आपूर्ति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है । (उपयुक्त खाने में टिक का निशान लगाएँ ।)

☐ हॉ ☐ नहीं

28. ए). क्या प्रस्ताव इफ्ल्यूएण्ट ट्रीटमेंट प्लान (इटीपी) के संस्थापना से संबंधित है ?

☐ हॉ ☐ नहीं

28. बी). यदि हाँ तो क्या उक्त प्राथमिक या द्वितीय और/या तीसरी ट्रीटमेंट सुविधा है ? (इस बारे में स्पष्ट स्थिति बताएँ) (उपयुक्त खाने में टिक का निशान लगाएँ ।)

☐ हॉ ☐ नहीं

29. प्लान्ट और मशीनरी एवं अन्य मिश्रित अचल आस्तियों के लिए विनिर्देशों सहित पूरी सूची प्रस्तुत करें (रिपोर्टिंग फार्मेट टी- 2 में) इसे टीयूएफएस बुकलेट के अनुसार वर्गीकृत करें। इसमें संबंधित अनुलग्नक सं. एवं मद सं. दर्शाये जिसमें वास्तविक विनिर्दिशों विवरण के साथ-साथ प्रौ.उ.नि.यो. में विनिर्दिष्ट विवरण भी लिखें ।
(समान उपकरणों का समूह बनाया जा सकता है ।)

"प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त दी गई जानकारी (समय-समय पर संशोधित) प्रौ.उ.नि.यो. के दिशा निर्देशों एवं उपबंधों के अनुरूप है तथा परियोजना प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र है।"

"प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी की मूल्यांकन निरूपण रिपोर्ट और स्वीकृति ज्ञापन की तुलना में टी-1/टी-2 प्रपत्र में दी गई जानकारी में कुछ भिन्नता हो तो टी-1/टी-2 प्रपत्र की जानकारी को सही एवं अन्तिम माना जाएगा।"

स्थान :- **हस्ताक्षर**

दिनांकः- **(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम)**

(कृपया इस रिपोर्टिंग प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर वित्तीय संस्था/बैंकों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर सहित सील/रबर स्टैम्प (मुहर) लगाएँ।)

नोटः- कृपया सभी आकड़े लाख रूपये में दें ।

प्रतिवेदन प्रपत्र टी - 2

(परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित मशीनों के प्रौ.उ.नि.यो. से संबंधित विनिर्देशों सहित)

वित्तीय संस्था/बैंकों का नाम :

कंपनी/फर्म का नाम :

I. मुख्य संयंत्र तथा मशीनें/उपकरण

(सभी राशियाँ लाख रू. में दें)

क्र. सं.	मशीन/उपक-रण का विवरण		मशीनों/ उपकरणों की संख्या	राशि (रू.लाख में)	क्या नई है या सेकेंड हैंड? यदि सेकेंड हैंड,उल्लेख करें कि कितनी पुरानी (विनिर्माण का वर्ष) है और कितनी अवशिष्ट अवधि है (वर्षों की संख्या)	प्रौ.उ.नि.यो. पुस्तिका के अनुसार अनुलग्नक सं. एवं मद सं.		प्रौ.उ.नि.यो. पुस्तिका में उल्लिखित के अनुसार मशीनों की विनिर्देश/ विवरण	स्तंभ सं.-9 में दर्शाये गये प्रौ.उ.नि.यो. संबंधी विवरणों की तुलना में उक्त मशीनों के विनिर्देश	क्या यह अतिरिक्त मशीन के रूप में खरीदी गई है या यह विद्यमान मशीन के बदले में है	क्या यह पूर्ण मशीन है अथवा उन्नयन का भाग है या विद्यमान मशीन में बदला हुआ भाग है ? (स्पष्ट करें कि कौन सा है) (लागू खाने में निशान लगाएँ)		
	आया-तित	स्वदेशी				मद सं.	अनु. सं.				पूर्ण मशीन	विद्यमान उपकरण के उन्नयन का भाग	विद्यमान उपकरण का बदला हुआ भाग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

II. विविध अचल आस्तियां (उपकरणों की सूची उनके मूल्यों सहित,यदि नया है तो कृपया उल्लेख करें ।)

स्थान :-

दिनांक:-

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम)

(कृपया वि.सं./बैंक का सील/रबर स्टैम्प लगायें)

1. वित्तीय संस्था/बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नानुसार प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाए ।
2. सभी स्तंभों में विनिर्दिष्ट विवरण भरें । किसी भी स्तंभ में लागू नहीं न लिखें । कोई स्तंभ खाली न छोड़ें ।
3. यदि परियोजना कार्यान्वयन 1 अप्रैल 1999 से पहले शुरू किया गया है, 1 अप्रैल 1999 से पहले तथा बाद में किये गये खर्च के लिए स्वतंत्र टी - 2 प्रपत्र जमा करें तथा तदनुसार स्तंभ सं. 5 में इसका उल्लेख करें ।

खंड-दो

भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) के वित्तीय मानक :-

I. सीधे सहायता की योजना

इस योजना के तहत लघु एवं मध्यम सेक्टर के उद्यम सम्मिलित होंगे। जिस इकाई का प्लान्ट एवं मशीनरी में 10 करोड़ तक का निवेश होगा, उसे मध्यम सेक्टर उद्यम (एमएसआई) समझा जायेगा ।

प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी :-

न्यूनतम :

- परियोजना की लागत का 20 प्रतिशत रूपये के रूप में आवधिक ऋण हेतु ।
- परियोजना की लागत 33.33 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के रूप में आवधिक ऋण हेतु ।

ऋण साम्या अनुपात :-

अधिकतम :-

समग्र रूप में संबंधित कम्पनी/फर्म हेतु 2:1 से अधिक नहीं

ऋण की शर्तें :

ऋण की राशि:

- आवधिक ऋण की राशि आवश्यकता पर आधारित होगी किन्तु यह रूपये 10 लाख से कम नहीं होगी ।
- ऐसी इकाइयाँ जो वर्तमान में लघु स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र में नहीं हैं किन्तु उन्होंने प्लान्ट एवं मशीनरी में रूपये 10 करोड़ से कम निवेश किया हुआ है उन्हें भी भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) से सहायता प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के उपरान्त भी प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश रूपये 10 करोड़ के भीतर ही रहे ।

ब्याज की दर :

- सिडबी के व्यापारिक ऋण की ब्याज दरों के अनुसार वर्तमान 9.5% वार्षिक से 13.5% वार्षिक के बीच होगा ।

प्रतिभूति (सुरक्षा) :

- योजना के अन्तर्गत आनेवाली आस्तियों पर विशेष चार्ज , मौजूदा अचल आस्तियों पर एवं अन्य सांपार्शिक प्रतिभूति एवं निजी प्रतिभूति(याँ) पर प्रथम/द्वितीय चार्ज जैसा आवश्यक समझा जाए।

ऋण वापसी की अवधि

- 10 वर्ष से अधिक नहीं जिसमें 2 वर्ष तक विलम्बन अवधि मामले की योग्यता के आधार पर।

पहले अग्रिम शुल्क (अप शुल्क फी) :

- ऋण राशि का 1 प्रतिशत ।

कार्यकारी पूँजी आवश्यकता :-

- इकाईयाँ उनके बैंकों से आवश्यकता के अनुसार अधारित कार्यकारी पूँजी की व्यवस्था करेंगे ।

कार्यक्रम अवधि :

- योजना की अवधि 31 मार्च,2007 तक बढ़ा दी गई है । कार्यक्रम अवधि के अंतिम दिनों तक मंजूर प्रस्ताव प्रोत्साहन ब्याज प्राप्ति के पात्र होंगे, ऋण की सामान्य अदायगी अवधि के अनुसार ऋण के पूर्ण वापसी तक उक्त प्रोत्साहन ब्याज प्राप्त होता रहेगा ।

प्रोत्साहन की शर्तें :

- इकाइयों को भारत सरकार की तरफ से सिडबी के माध्यम से रूपये ऋण के लिए 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति उपलब्ध होगी । योजना में विदेशी मुद्रा के ऋण के संबंध में आधार दर से 5 प्रतिशत वार्षिक पर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की प्रतिशत भी सम्मिलित है । इस प्रकार की योजना ऋण की सम्पूर्ण अवधि के लिए उपलब्ध होगी बशर्ते विनमय दर में उतार-चढ़ाव 5 प्रतिशत की दर से अथवा/ 5 प्रतिशत दर से अधिक से हो । विदेशी मुद्रा ऋण के लिए आगे फारवर्ड कवर प्रीमियम की लागत 5 प्रतिशत विनिमय के आधार दर पर एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी । जो कि 5 प्रतिशत विनिमय दर उतार चढ़ाव कवरेज के एवज में होगी इसका उपयोग परियोजना अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार किया जा सकता है । यह प्रोत्साहन ऋण की अवधि के दौरान प्राप्त होती रहेगी जैसा कि इस आशय के पत्र में/अथवा जैसा ऋण के दस्तावजों में उल्लेख किया गया हो, ऐसा बकाया रहित एकाउण्टस के मामलों में लागू होगी ।

मंजूरी एवं संवितरण की प्रक्रिया :

- वित्तीय सहायता के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र सिडबी के निकटम शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाना चाहिए । इस योजना के अन्तर्गत सहायता पाने के लिए उधार (ऋण) प्राप्त कर्ता इकाई को ऋण संबंधी करारनामा विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । ऋण का संवितरण या तो सीधे ही मशीन की आपूर्ति करने वालों को अथवा उधार प्राप्तकर्ता द्वारा उनके बैंक में खोले गये "नो लीन एकाउण्ट" खाते में किया जा सकेगा । उधारप्राप्तकर्ता से अपेक्षित है कि वे तिमाही आधार पर सिडबी से ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिपूर्ति का दावा करें । सिडबी उनके दावों का निपटारा भारत सरकार से संबंधित प्रोत्साहन ब्याज प्राप्ति के बाद उचित समय के भीतर करेगा । भारत सरकार से प्रोत्साहन ब्याज प्राप्त होने तक सिडबी की व्यापारिक ब्याज दर लागू होगी । प्रस्ताव के बारे में उधार देने संबंधी सिडबी का निर्णय अंतिम होगा ।

नोट : आवश्यकतानुसार समय-समय पर इसके पॅरामीटर तथा दिशानिर्देश बदले जा सकते हैं ।

II. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत पुनर्वित्तीय सहायता योजना (प्रौ.उ.नि.यो. पु.वि.स.):

ऐसी प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाएँ जिन्होंने प्राथमिक उधारदाता संस्थानों से आवधिक ऋण प्राप्त किया है उन्हें भी पुनर्वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी तथा ब्याज की प्रतिपूर्ति उन्हीं शर्तों एवं निबंधों पर की जायेगी जिन पर सीधी सहायता योजना में दी गई थी । इस बारे में सम्पूर्ण विवरण संबंधित प्राथमिक उधारदाता संस्थानों (प्रा.उ.सं.) से प्राप्त किया जा सकता है जिसमें राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, राज्य को-ऑपरेटिव्ह बैंकों एवं अनुसूचित शहरी को-ऑपरेटिव्ह बैंक सम्मिलित हैं ।

योजना के लागू किये जाने के बाद से इस क्षेत्र के बाहर लघु औद्योगिक इकाई पर भी यह लागू होगी ।

सहायता का प्रकार

- रूपये में देय आवधिक ऋण के रूप में सहायता।

परियोजना लागत

- लघु स्तरीय क्षेत्र के वस्त्र उद्योग प्रत्येक पात्र प्रस्तावों के बारे में चाहे कुछ भी उनकी परियोजना की लागत हो वे सहायता पाने के पात्र होंगे ।

वित्तीय मानक :

(ए) <u>प्रमोटर्स का अंशदान :</u>

- कम से कम परियोजना की लागत का 20 प्रतिशत ।

(बी) <u>ऋण साम्या अनुपात :</u>

- समग्र रूप में संबंधित/कम्पनी/फर्म हेतु 2:1 से अधिक नहीं ।

ऋण की राशि/पुनर्वित्तीय सहायता :

- इस योजना के अन्तर्गत सहायता जरूरत पर आधारित होगी । रूपये में आवधिक ऋण पुनर्वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत प्राथमिक वित्तीय ऋण दाता संस्थानों द्वारा सिडबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा तक प्रदान की जायेगी । (वर्तमान में ऋण के संबंध में 100 प्रतिशत)

सहायता की शर्तें :

(ए) <u>ब्याज की दर :</u>

क्र.सं.	**परियोजनाओं/योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र कार्यकलापों हेतु सहायता की राशि**	**आवधिक ऋण के लिए प्रतिवर्ष आधार पर ब्याज की दर (ब्याज कर छोड़कर)**	**पुनर्वित्तीय सहायता पर लागू ब्याज की दर प्रतिवर्ष आधार पर ।**
i)	रू.50,000 तक	पुनर्वित्तीय सहायता पर लागू दर से अधिकतम 3 प्रतिशत अधिक लगेगा ।	8.25 प्रतिशत
ii)	रूपये 50,000 से रूपये 2 लाख तक		8.75 प्रतिशत
iii)	रूपये 2 लाख से अधिक एवं रू.25 लाख तक	जैसा प्राथमिक उधारदाता संस्थान द्वारा निश्चित किया जाए	9.75 प्रतिशत
iv)	रूपये 25 लाख से अधिक	. . . वही. . .	10.25 प्रतिशत

उपरोक्त दरें सिडबी द्वारा निर्धारित चालू उधार दरों पर आधारित हैं । जब सिडबी द्वारा ब्याज दरें संशोधित की जायेंगी उस समय पुनर्वित्तीय सहायता की ब्याज दरें भी संशोधित की जायेगी । 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति, इकाईयों को भारत सरकार द्वारा प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी ।

(बी) <u>प्रतिभूति :</u>

ऋण से खरीदी गई ऑस्तियों पर विशिष्ट शुल्क प्रथम/द्वितीय शुल्क, मौजूदा अचल आस्तियों पर एवं अन्य संपार्श्विक प्रतिभूति जैसा जरूरी समझा जाए ।

(सी) <u>ऋण वापसी की अवधि :</u>

संबंधित उधार प्राप्तकर्ता की क्षमता पर आधारित ऋण वापसी की अवधि निर्धारित की जायेगी । यद्यपि ऋण की ऋण वापसी अवधि अधिकतम 10 वर्ष तक (जिसमें 2 वर्ष तक विलम्बन अवधि सम्मिलित है) चालू अथवा नवीन परियोजनाओं के बारे में वैयक्तिक मामलों की विशेषताओं पर आधारित होगा ।

कार्यकारी पूँजी की आवश्यकतायें :

- इकाई अपने बैंकों के साथ आवश्यकता पर आधारित कार्यकारी पूँजी/अतिरिक्त कार्यकारी पूँजी का प्रबंध करेगी ।

क्रियाविधि

- यह पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की जिम्मेदारी होगी, कि वे पता लगायें किस प्रकार के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है तथा इसके लिए कितनी सहायता राशि की आवश्यकता होगी । पात्र संस्थानों द्वारा पुनर्वित्तीय सहायता संबंधी आवेदन पत्रों के ऊपर लिखना होगा "वस्त्र उद्योगों की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना" जिससे स्पष्ट रूप से पता चल सके कि यह प्रस्ताव प्रौ.उ.नि. योजना से संबंधित है ।
- अपने आप से पुनर्वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रस्तावों के साथ एक अलग से विवरणी होगी जिसमें यह उल्लेख होगा कि यह प्रौ.उ.नि. योजना से संबंधित है । प्राथमिक उधारदाता संस्थान उक्त विवरणी में यह स्पष्ट तौर पर उल्लेख करेंगे कि सूचीबद्ध प्रस्ताव संबंधित औद्योगिक इकाई के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए है तथा साथ ही यह इकाई भारत सरकार के संकल्प में दिये मानकों एवं प्रौ.उ.नि. योजना से संबंधित लघु औद्योगिक इकाई को लागू दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं ।
- क्योंकि सिडबी से अपेक्षित है कि वह ब्याज की तिमाही आधार पर अदाएगी के लिए भारत सरकार को पूर्वानुमान प्रस्तुत करें , हमारी सलाह है कि सभी प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा सिडबी को तिमाही के आधार पर ब्याज की वसूली का पूर्वानुमान प्रस्तुत करना चाहिए, चाहे पुनर्वित्तीय सहायता ली गई हो अथवा नहीं । प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा उक्त जानकारी उनके प्रमुख (नोडल) कार्यालय द्वारा हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/ब्राँच आफिसों को अप्रैल-जून तिमाही के लिए 1 अप्रैल तक/या पहले तथा जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए 1 जुलाई तक/या पहले और आगे भी इसी प्रकार से सिडबी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में दी जाती रहे ।

- सिडबी के पास अधिकार होगा कि वे प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की पुस्तकों एवं ऋण खातों की जाँच कर सकेगी चाहे सिडबी से पुनर्वित्तीय सहायता प्राप्त की हो अथवा नहीं । अथवा अन्य किसी जानकारी की मांग कर सकेगी जो भारत सरकार द्वारा अपेक्षित होगी ।

- सिडबी के पास अधिकार होगा कि वह प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से सम्पूर्ण प्रोत्साहन ब्याज की राशि/विनिमय में उतार-चढ़ाव से संबंधित अदा की गई राशि वापस ले सकेगी तथा प्राथमिक ऋणदाता संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रोत्साहन ब्याज की राशि/प्रतिकूल विनिमय दर संबंधी उतार-चढ़ाव जो कि सहायता प्रदत्त इकाई के लिए 5 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक न हो, वापस करेंगे :-

(ए) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप यह योजना प्राथमिक ऋणदाता संस्थान द्वारा लागू नही की गई अथवा

(बी) योजना के कार्यान्वयन के दौरान एवं/अथवा ऋण के प्रचालन के दौरान उसका लेखा, भारत सरकार/सिडबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों, कार्यविधियों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं ।

- प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से अपेक्षित है कि वे वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र प्रोफार्मा-4, में जानकारी दें जिसकी आवधिकता तीन मासिक एवं एक तिमाही रिपोर्ट हो । प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से अनुरोध है कि वे सभी संबंधित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की समेकित प्रगति रिपोर्ट को विहित प्रपत्र में भरकर दें, लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए (सिडबी प्रमुख एजेन्सी के रूप में) और मध्यम/बड़ी इकाईयों के लिए (आईडीबीआई प्रमुख एजेन्सी के रूप में) के बारे में अलग से जानकारी दें । तिमाही जानकारी को प्रपत्र चार (iv) में मासिक प्रपत्र एक (I) से तीन (III) तक के साथ भेजना है । इस जानकारी को मासिक/तिमाही आधार पर वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में आगामी माह के 10 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में देना है, चाहे वित्तीय सहायता की मंजूरी माह/तिमाही के दौरान ली गई हो अथवा नहीं । लघु औद्योगिक इकाई के बारे में वस्त्र आयुक्त को दी जाने वाली जानकारी की प्रति सिडबी को अग्रेषित की जायेगी । यह जानकारी सिडबी को ई-मेल के माध्यम से निम्न पते पर भेजी जा सकती है :- rtuf@sidbi.com

कार्यक्रम अवधि :

- यह योजना 31 मार्च 2007 तक बढ़ा दी गई है कार्यक्रम तारीख की अवधि तक अब तक मंजूर प्रस्ताव भी ब्याज की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे, जो कि सामान्यतःऋण की वापसी अवधि के अनुसार सम्पूर्ण ऋण के वापसी होने तक प्राप्त होता रहेगा ।

ब्याज प्रतिपूर्ति की शर्तें :-

- पात्र लघु औद्योगिक इकाईयों को एस.एफ .सी, एस.आई.डी.सी. एवं अनुसूचित व्यापारिक बैंकों एवं चुनिन्दा को-ऑपरेटिव बैंको के माध्यम से प्रोत्साहन ब्याज प्राप्त होता रहेगा । (चाहे उन्होंने पुनर्वित्तीय सहायता प्राप्त की हो अथवा नही) । इस बारे में सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र में सिडबी को प्रोत्साहन ब्याज प्रतिपूर्ति के मामलों पर विचार करने के लिए भेजी जानी है । अपूर्ण आवेदन पत्रों पर सिडबी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा । इस मामले में सिडबी प्रमुख एजेन्सी बनी रहेगी जो कि प्राथमिक उधारदाता संस्थानों के ब्याज प्रतिपूर्ति दावों की जाँच करने के लिए और उनकी वास्तविक प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगी ।
- लघु औद्योगिक इकाई क्षेत्र के नयी तथा चालू औद्योगिक संस्थानों दोनों को 1 अप्रैल,1999 तक या बाद में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा मंजूर ऋण के बकाये हिस्से के ऋण पर उनके द्वारा अदा किये गये ब्याज के लिए 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति प्राप्ति का अधिकार होगा । इकाईयाँ ब्याज प्रतिपूर्ती के लिए उनकी प्राथमिक ऋणदाता संस्थों द्वारा ऋण संवितरित किये जाने के दिन से लेटर ऑफ इन्टेट एवं/अथवा ऋण संबंधी कागजातों में दि गई ऋण की अवधि के दौरान ब्याज की प्रतिपूर्ती प्राप्ति के पात्र होंगें।
- वे इकाइयाँ जो मूल राशि/ब्याज की अदाएगी में दोषी हैं वे ब्याज प्रतिपूर्ति प्राप्ति की पात्र नहीं होंगी ।

प्राथमिक ऋणदाता संस्थान सिडबी से उनके प्रोत्साहन ब्याज प्रतिपूर्ति का दावा समेकित रूप में माह में एक बार कर सकेंगी । यद्यपि इकाईयों के बारे में ऐसे दावे तिमाही आधार पर किये जायेंगे । सिडबी भारत सरकार से संबंधित प्रोत्साहन ब्याज की प्राप्ति के बाद उचित समय के भीतर ब्याज प्रतिपूर्ति के मामलों का निपटारा करेगी । भारत सरकार से प्रोत्साहन ब्याज की प्राप्ति तक प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों के व्यापारिक ऋण दर लागू होंगे ।

- इस योजना के अन्तर्गत ऋण संबंधी जोखिम सिडबी द्वारा नहीं उठाया जायेगा । प्राथमिक उधारदाता संसथान परियोजना के मूल्य निर्धारण के लिए स्वयं ही वाणिज्यक निर्णय लेंगे । ऋण के बारे में प्राथमिक उधारदाता संस्थानों का निर्णय ही अंतिम होगा ।
- सिडबी का परियोजना के अन्तर्गत पुनर्वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी निर्णय ही अंतिम होगा ।

सहयोजित प्राथमिक उधारदाता संस्थानों द्वारा सीधे ही वित्तीय मदद प्राप्ति के वित्तीय मानक :-

- सिडबी पुनर्वित्तीय मानकों को लागू करने के लिए दबाव नहीं डालेगी जैसे प्रमोटर्स अंशदान, डीईआर, प्रतिभूति, उन मामलो में वसूली अवधि के बारे में जहाँ प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत पुनर्वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त की गई है ।
- सहयोजित प्राथमिक ऋणदाता संस्थान सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रौ.उ.नि. योजना ऋणों के मामले में स्वयं के वित्तीय मानक बना सकते हैं । यद्यपि ऐसे मानक सिडबी द्वारा सीधे वित्तीय सहायता प्राप्ति संबंधी निर्धारित वित्तीय मानकों से सख्त नहीं हो सकते.
- यद्यपि प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पर विचार करने के समय प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा भारत सरकार द्वारा तकनीकी मशीनरी, अन्य निवेश इत्यादि संबंधी निर्देशों का सख्तीपूर्वक पालन किया जायेगा ।
- सहयोजित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी । इस प्रकार वे वस्त्र इकाईयों को लघु औद्योगिक इकाईयों की सीमा तक सीधे ही ऋण प्रदान कर सकेंगे अथवा लघु औद्योगिक इकाई से क्षेत्र बाह्य होने वाली इकाईयों को लघु औद्योगिक इकाई सीमा से अधिक राशि तक भी उधार दे सकते हैं ।

<u>नोट :-</u> आवश्यकतानुसार समय-समय पर इसके मानक एवं दिशा निर्देश बदले जा सकते हैं ।

अनुलग्नक-एक

तिमाही अवधि हेतु उन मामलों में जहाँ वस्त्र उद्योग के पुनर्वित्तीय सहायता के अन्तर्गत प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि के तहत जिन किन्हीं मामलों में पुनर्वित्तीय सहायता नहीं ली गई है । ऐसे मामलों में पहली बार प्रोत्साहन ब्याज की प्रतिपूर्ति प्राप्ति हेतु प्रपत्र ।

एसएफसी/एसआईडीसी/बैंक का नाम :

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	(i) उधार प्राप्त कर्ता इकाई का नाम (ii) इसकी सरंचना (iii) समुदाय	इकाई की अवस्थिति (i) स्थान (ii) जिला @	वस्त्र खंड	योजना में सम्मिलित संयंत्र एवं मशिनरी का विवरण	नवीन (एन) अथवा उपयोग की जा चुकी (एस)	मशीनरी की लागत	अन्य पात्र निवेशों का 25% (50% आरएमजी इकाईके लिए) प्रोत्साहन के लिये कालम 7 में सयंत्र एवं मशिनरी में किये कुल निवेश से अधिक नहीं होना चाहिए)	परियोजना की कुल लागत	मंजूर किया गया ऋण		संवितरित ऋण		ऋण पर लगाया गया ब्याज	दिनांक तक बकाया ऋण	तिमाही के लिए उधार-प्राप्तकर्ता द्वारा अदा किया गया ब्याज।	@ 5% की दर से ब्याज की गई प्रतिपूर्ति
									दिनांक	राशि	दिनांक	राशि				
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**

हम निम्नलिखित के प्रमाणित/वचन देते हैं :-

1) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई मशिनरी समय-समय पर वस्त्र मंत्रालय/सिडबी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार योजना में शामिल किये जाने हेतु पात्र होंगी । वे प्रस्ताव जिनके लिए ब्याज प्रोत्साहन का दावा किया गया है वे योजना हेतु बनाये गये चालू मानकों एवं निर्देशों का अनुपालन करते है और उन आस्तियों पर प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है असक्रिय आस्तियां नहीं हैं।

2) सिडबी द्वारा पिछले तिमाही के दौरान जारी की गई प्रोत्साहन की राशि (अर्थात दिनांक ----------को समाप्त तिमाही) पहले ही लाभार्थी इकाईयों को दी जा चुकी हैं । उपरोक्त दावा की गई प्रोत्साहन ब्याज राशि को उपरोक्त उधारप्राप्त कर्ता इकाईयों को सिडबी द्वारा वास्तविक प्रतिपूर्ति की गई प्रोत्साहन राशि प्राप्ति के 15 दिन के भीतर दे दी जायेगी ।

3) ऐसे कोई पुन:रिशेड्यूल्ड मामले नहीं है जिनके लिए भुगतान की अवधि अधिकतम अवधि 10 वर्ष की भुगतान अवधि से अधिक नहीं है ।
4) ब्याज संबंधी अनुदान के लिए ब्याज की गणना योजना गणना केवल प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत बकाया मूलधन के ऊपर की गई है और इसमें इस खाते में डेबिट की गई अन्य कोई राशि जैसे खाते में डैबिट ब्याज अथवा अन्य प्रभार सम्मिलित नहीं है ।
5) उस तिमाही के लिए जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है इसका दावा अन्य किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा सिडबी के किसी शाखा से नहीं किया गया है ।
6) सिडबी को अधिकार होगा कि वह हमारी पुस्तकों एवं ऋण के खातों चाहे इस योजना के अन्तर्गत पुनवित्तीय सहायता प्राप्त गई है अथवा नहीं एवं/अथवा समय-समय पर भारत सरकार जो सूचना चाहे उसकी माँग कर सकेगा ।।
7) इसके कार्यान्वयन एवं/अथवा ऋण (लोन) के प्रचलन अवधि के दौरान यदि सिडबी इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि कोई भी खाते भारत सरकार/सिडबी द्वारा निर्धारित नीतियों, कार्यविधियों एवं इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों अनुरूप नहीं है तो ऐसी दशा में सिडबी के पास अधिकार होगा कि वह उस संबंधित इकाई से प्रोत्साहन ब्याज/विनिमय में उतार-चढ़ाव से संबंधित सम्पूर्ण राशि को ऋणदाता संस्थान वसूल कर सकेगा । हम घोषित करते हैं कि हम इस प्रकार के जाँच की गई इकाईयों के संबंध में सम्पूर्ण प्रोत्साहन ब्याज/विनिमय से उतार-चढ़ाव के लिए अदा की गई 5% राशि को वापस करेंगे । चाहे हमने ऐसी इकाईयों से उक्त प्रोत्साहन ब्याज/विनिमय दर से उतार-चढ़ाव संबंधी उक्त राशि वसूल की हों अथवा नहीं ।

हस्ताक्षर

कृते (एसएफसी/एसआईडीसी/बैंक का नाम)

नोट :

[+] चीफ प्रमोटर/प्रमोटर यदि अल्पसंख्यक वर्ग से हों तो कृपया निम्न संक्षेपों का उपयोग करते हुए बतायें जैसे वह यदि ख्रिश्चन हो तो (सी), मुस्लिम (एम), नीओ-बुद्धिष्ट (एन), (सिक्स) (एस), अथवा जोरेस्टियन (जेड) लिखें ।

[@] कृपया यह भी सूचित करें यदि इकाई पिछड़े जिले में हो तो (बी)/ गैर-पिछड़े जिले के लिए (एन बी) लिखें ।

अनुलग्नक-एक (ए)

---------- तिमाही

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग के लिए पुनर्वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ब्याज की प्रतिपूर्ति का लाभ पहली बार प्राप्त करने के लिए प्रपत्र

(ऐसे मामलों के लिए जहाँ पुनर्वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है एवं जहाँ पुनर्वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई है)

प्राथमिक ऋणदाता संस्थान का नाम :

---------- समाप्त तिमाही हेतु दावा

(राशि रूपये में)

क्र.स.	उधार प्राप्तकर्ता ईकाई	इकाई कोड	प्रथम पुनर्वित्तीय सहायता प्राप्ति की तारीख	कुल संवितरण	ब्याज दर	बकाया ऋण	उधार प्राप्तकर्ता द्वारा तिमाही के दौरान अदा किया गया ब्याज	5% की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**

हम प्रमाणित/घोषित करते हैं कि :-

1) सिडबी/वस्त्र मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत ली गई मशिनरी इस योजना में शामिल की गई है । जिन प्रस्तावों के लिए ब्याज का दावा किया गया वे इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये दिशा-निर्देशों एवं चालू मानकोंके अनुरूप हैं और नॉन आस्तियों की प्रतिभूति पर प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं ।

2) सिडबी द्वारा पिछले तिमाही के दौरान जारी की गई प्रोत्साहन की राशि (अर्थात दिनांक ---------- को समाप्त तिमाही) पहले ही लाभार्थी इकाईयों को दी जा चुकी हैं । उपरोक्त दावा की गई प्रोत्साहन ब्याज राशि को उपरोक्त ऋण प्राप्त कर्ता इकाइयों को सिडबी द्वारा प्रोत्साहन राशि वास्तविक प्रतिपूर्ति के 15 दिन के भीतर भूगतान कर दिया जायेगा ।

3) ऐसे कोई रिशेड्यूलड मामले नहीं है जिनके लिए पुनः भुगतान की अधिकतम अवधि 10 वर्ष से अधिक रही हो ।

4) ब्याज अनुदान राशि पर ब्याज का आकलन केवल प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत बकाया मूल राशि के आधार पर किया जाता हैं, इसमें अन्य कोई डेबिट राशि जैसे खाते में जमा किये गये ब्याज अथवा अन्य प्रभार सम्मिलित नहीं है ।
5) जिस तिमाही के लिए जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है उनसे संबंधित दावा अन्य किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा सिडबी के किसी शाखा से नहीं किया गया है ।
6) सिडबी को अधिकार होगा कि वह हमारी पुस्तकों एवं ऋण के खातों एवं/अथवा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी । चाहे इस योजना के अन्तर्गत सिडबी से पुनर्वित्तीय सहायता ली गई है अथवा नहीं ।
7) इसके कार्यान्वयन एवं/अथवा ऋण के प्रचलन अवधि के दौरान यदि सिडबी इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि किसी भी खाते को भारत सरकार/सिडबी द्वारा निर्धारित नीतियो, क्रियाविधि एवं इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों केअनुरूप नहीं बनाया जा रहा है ऐसी स्थिति में सिडबी के पास अधिकार होगा कि वह उस संबंधित इकाई को प्राथमिक ऋणदाता संस्थान से प्रोत्साहन ब्याज/विनिमय में उतार-चढ़ाव हेतु अदा की गई संपूर्ण राशि को वसूल कर सकेगा । हम घोषित करते हैं कि हम इस प्रकार के जाँच की गई इकाइयों के संबंध में सम्पूर्ण प्रोत्साहन ब्याज/विनिमय दर में 5% प्रति वर्ष की दर से उतार-चढ़ाव के लिए अदा की गई राशि को वापस करेंगे । चाहे हमने ऐसी इकाइयों से उक्त प्रोत्साहन ब्याज/विनिमय दर से उतार-चढ़ाव संबंधी उक्त राशि वसूल की हो अथवा नहीं ।

हस्ताक्षर

कृते (एसएफसी/एसआईडीसी/बैंक का नाम)

अनुलग्नक-दो

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग के लिए पुनर्वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ब्याज की प्रतिपूर्ति का लाभ दूसरी बार तथा बाद में प्राप्त करने के लिए प्रपत्र

(ऐसे मामलों के लिए जहाँ पुनर्वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है एवं जहाँ पुनर्वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई है)

प्राथमिक उधार दाता संस्थान का नाम :

---------- समाप्त तिमाही हेतु दावा

(राशि रूपये में)

क्र.स.	उधार प्राप्तकर्ता इकाई	इकाई कोड	ब्याज दर	बकाया ऋण	तिमाही हेतु उधार प्राप्तकर्ता द्वारा अदा किया गया ब्याज	@ 5% की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**

हम प्रमाणित/घोषित करते है कि :-

1) सिडबी/वस्त्र मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत ली गई मशिनरी इस योजना में शामिल की गई है । जिन प्रस्तावों के लिए ब्याज का दावा किया गया वे इस योजना के अन्तर्गत बनाये गये दिशा-निर्देशों एवं चालू मानकोंके अनुरूप हैं और नॉन आस्तियों की प्रतिभूति पर प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं ।
2) सिडबी द्वारा पिछले तिमाही के दौरान जारी की गई प्रोत्साहन की राशि (अर्थात दिनांक ---------- को समाप्त तिमाही) पहले ही लाभार्थी इकाईयों को दी जा चुकी हैं । उपरोक्त दावा की गई प्रोत्साहन ब्याज राशि को उपरोक्त ऋण प्राप्त कर्ता इकाइयों को सिडबी द्वारा प्रोत्साहन राशि वास्तविक प्रतिपूर्ति के 15 दिन के भीतर भूगतान कर दिया जायेगा ।
3) ऐसे कोई रिशेड्यूलड मामले नहीं है जिनके लिए पुनः भुगतान की अधिकतम अवधि 10 वर्ष से अधिक रही हो ।

4) ब्याज अनुदान राशि पर ब्याज का आकलन केवल प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत बकाया मूल राशि के आधार पर किया जाता हैं, इसमें अन्य कोई डेबिट राशि जैसे खाते में जमा किये गये ब्याज अथवा अन्य प्रभार सम्मिलित नहीं है ।
5) जिस तिमाही के लिए जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है उनसे संबंधित दावा अन्य किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा सिडबी के किसी शाखा से नहीं किया गया है ।
6) सिडबी को अधिकार होगा कि वह हमारी पुस्तकों एवं ऋण के खातों एवं/अथवा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी । चाहे इस योजना के अन्तर्गत सिडबी से पुनर्वित्तीय सहायता ली गई है अथवा नहीं ।
7) इसके कार्यान्वयन एवं/अथवा ऋण के प्रचलन अवधि के दौरान यदि सिडबी इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि किसी भी खाते को भारत सरकार/सिडबी द्वारा निर्धारित नीतियो, क्रियाविधि एवं इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों केअनुरूप नहीं बनाया जा रहा है ऐसी स्थिति में सिडबी के पास अधिकार होगा कि वह उस संबंधित इकाई को प्राथमिक ऋणदाता संस्थान से प्रोत्साहन ब्याज/विनिमय में उतार-चढ़ाव हेतु अदा की गई संपूर्ण राशि को वसूल कर सकेगा । हम घोषित करते हैं कि हम इस प्रकार के जाँच की गई इकाइयों के संबंध में सम्पूर्ण प्रोत्साहन ब्याज/विनिमय दर में 5% प्रति वर्ष की दर से उतार-चढ़ाव के लिए अदा की गई राशि को वापस करेंगे । चाहे हमने ऐसी इकाइयों से उक्त प्रोत्साहन ब्याज/विनिमय दर से उतार-चढ़ाव संबंधी उक्त राशि वसूल की हो अथवा नहीं ।

हस्ताक्षर

कृते (एसएफसी/एसआईडीसी/बैंक का नाम)

भाग-तीन

भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम के वित्तीय मानक (भा.औ.वि.नि)

प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत ऋण

प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एव निबंधनों के आधार पर ऋण दिये जायेंगे :-

ऋण की राशि

सहायता आवश्यकता के आधार पर होगी । व्यक्तिगत ऋणों के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी ।

समर्थकों का अंशदान

कम से कम योजना की लागत का 20 प्रतिशत (अधिकतम उपयुक्त मामलों में 17.5 प्रतिशत तक छूट होगी ।)

ऋण साम्या अनुपात

1.5:1, अपवादित मामलों में छूट हैं ।

डीएससीआर :

अधिकतम 1.3

ब्याज की दर

क) रूपये में देय ऋण

प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत ब्याज दरें उधार देने वाली संस्थानों द्वारा ऋण की मंजूरी के समय/ऋण संबंधी कागजातों के देने के समय उनके द्वारा लागू सामान्य ब्याज दरें होंगी । वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार 5 प्रतिशत तक ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगी जो कि प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत मदत लेने वाले उधार कर्ताओं को उपलब्ध करवाया जाएगा । सरकार नोडल एजेन्सियों एवं प्राथमिक उधारदाता संस्थानों के देय प्रतिपूर्ति नोडल एजेन्सियों के तिमाही आधारों पर

अधिकतम 15 दिन पहले देगी, जिससे समय से उधारदाता के खाते में ब्याज की प्रतिपूर्ति रकम क्रेडिट की जा सके ।

ख) विदेशी मुद्रा ऋण

जैसा कि सामान्य एफसीएल के बारे में लागू है, परन्तु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक सुरक्षा प्रदान करेगी ।

ब्याज प्रतिपूर्ति की अवधि :-

ऋण संबंधी इन्टेन्ट पत्र में अथवा ऋण संबंधी कागजपत्रों में विनिर्दिष्ट ऋण की अवधि के लिए 5% ऋण प्रतिपूर्ति एवं विनिमय में उतार-चढ़ाव हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की प्रतिपूर्ति उपलब्ध रहेगी । इस ऋण की अदायगी अवधि के बाद बढ़ोतरी की जाती है तो ब्याज विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के लिए प्रतिपूर्ति उपलब्ध नही होगी।

अग्रिम फीस

ऋण की राशि का 1.05 प्रतिशत ऋण के दस्तावेजों के निष्पादन के समय देय होगा ।

ऋण की अवधि

8-10 वर्ष (विलम्बन अवधि सहित) नगदी के आवक पर निर्भर ।

ऋण की वापसी राशि

वापसी हेतु श्रेणीबद्ध व्यवस्था जिसमें प्रारम्भिक वर्षें में कम ऋण वापसी तथा इसमें बाद में हल्की बढ़ोत्तरी अलग-अलग मामलों के आधार पर इस बारे में विचार किया जायेगा । यह अपेक्षित नगदी की आवक के ऊपर निर्भर होगा ।

प्रतिभूति

प्रथम चार्ज उधार प्राप्तकर्ता कम्पनी की सम्पूर्ण आस्तियों पर होगा । जमा न्यूनतम एफ ए सी आर का 1.5 के अलावा वैयक्तिक प्रवर्तकों की कार्पोरेट गारंटी/समूह और प्रवर्तकों की शेयरहोल्डिंग गिरवी रखा जाएगा और यह मामले की योग्यता पर आधारित होगा ।

परिवर्तन का विकल्प

बकायादार मामलों को छोड़कर लागू नहीं ।

प्रौ.उ.नि. योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पूर्व आवश्यकतायें :-

i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट :-

जूट मिलों से अपेक्षा है कि वे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनायें । वे योजना के लिए वास्तविक एवं वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाये, जिसमें अतिरिक्त क्रियाशील पूँजी के लिए मार्जिन मनी सहित एवं स्पष्ट तौर पर कार्रवाई के क्षेत्रों हेतु विशिष्ट प्रौद्योगिकी उन्नतियों की आवश्यकताओं का पता लगायें तथा यह भी ध्यान रखें कि उत्पादकता एवं लाभ प्राप्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ।

ii) <u>प्रबंध :-</u>

भारत सरकार के भाग IV संबंधी दिनांक 31.3.1999 के संकल्प में दिये अनुसार ।

iii) क्रियाशील पूँजी की आवश्यकतायें :-

भारत सरकार के दिनांक 31.03.1999 के संकल्प V के अनुसार ।

<u>आवेदन की प्रक्रिया :-</u>

आवेदक कम्पनियाँ ऋण संबंधी विहित प्रपत्र में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि.प.रि.) सहित आई एफ सी आई के मुख्यालय कार्यालय अथवा किसी क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आईएफसीआई आवेदन पत्र पर /योजना की व्यवहार्यता के बारे में कार्रवाई करेगी ।

व्यापारिक व्यवहार्यता जिसमें संप्रर्तकों के पिछले रिकार्डों की छानबीन एवं विवेकी व्यवस्था की स्थापना तथा निगम के शासन की प्रक्रियायें स्थापित करने में सहायता पर गम्भीरतापूर्वक कार्रवाई की जायेगी ।

<u>मंजूरियों के लिए समय-सीमा :-</u>

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उक्त योजना के तहत सहायता राशि की मंजूरी की प्रक्रिया जिसमें गुणवत्ता के आधार पर पात्र इकाई के लिए आवेदन प्राप्ति के दिन से दो महिने के भीतर कार्रवाई की जायेगी ।